

नहीं किया, जिस हेतु अतिथि अवसर दिया जाता है। प्रति. सं. 5 लगा. 17 की ओर से कोई कार्य दाखली नहीं - चाहें बावत प्र. प्र. पेश किया तथा श्री पवन तिकारी एड. द्वारा श्री प्र. प्र. पेश किया। पत्रावली वास्ते अतिथि कार्यवाही हेतु दिनांक 09.06.25 को पेश है।

09.6.25

NJP/Pr...
9/6/25

आज यह पत्रावली पेश करने के लिए प्रशासन उपाय वही के वकील द्वारा दले को नोट प्रोसेस किया गया है वही के वकील दले को कोर्ट आगे नहीं चलाया जा रहा है।

अतः दले वही नोट प्रोसेस से इसी लेख में ~~नोट~~ समाप्त किया गया है। पत्रावली के लिए प्रशासन द्वारा नए से काम हो जाएगा वही के वकील द्वारा दले को दायरे में रखा है।

जे
राधेश्याम शर्मा
उपखण्ड
34 गुसावत (महाराष्ट्र)
मुंबई